

| तारीख हुक्म | राजकमल सिंह बनाम लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा) सू.अ.अपील संख्या 199 / 2022 | न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|-------------|--|--|
| 28.07.22 | <p>अपीलार्थी राजकमल सिंह निवासी 787, बेरा बरलात, खारिया मीठापुर, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 25.01.2022 में उसके द्वारा खसरा नं. 473, 474, 475, 476 व 1665, 1666 के नक्शा, क्षेत्रफल आदि से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p> | |